

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
(विधायी विभाग)

\*\*\*\*\*

नई दिल्ली, तारीख 5 मार्च, 2018  
फाल्गुन 14, 1939 (शक)

**अधिसूचना**

का.आ. (अ).-- राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से, उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य सभा के उन सदस्य (सदस्यों) के स्थान (स्थानों) को भरने के प्रयोजन के लिए, जिनकी पदावधि उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख को समाप्त होनी है, उनकी पदावधि के अवसान पर, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य (सदस्यों) को निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं :-

क्रम सं.	राज्य	भरे जाने वाले स्थानों की संख्या	निवृत्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आंध्र प्रदेश	3	02.04.2018
2.	बिहार	6	02.04.2018
3.	छत्तीसगढ़	1	02.04.2018
4.	गुजरात	4	02.04.2018
5.	हरियाणा	1	02.04.2018
6.	हिमाचल प्रदेश	1	02.04.2018
7.	कर्नाटक	4	02.04.2018
8.	मध्य प्रदेश	5	02.04.2018
9.	महाराष्ट्र	6	02.04.2018
10.	तेलंगाना	3	02.04.2018
11.	उत्तर प्रदेश	10	02.04.2018
12.	उत्तराखंड	1	02.04.2018
13.	पश्चिमी बंगाल	5	02.04.2018
14.	ओडिशा	3	03.04.2018
15.	राजस्थान	3	03.04.2018
16.	झारखंड	2	03.05.2018

[फा. सं. एच.11024/3/2018-वि.02]

(डा.रीटा वशिष्ट)  
अपर सचिव, भारत सरकार